न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर०ए०एस० (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 119/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. शंकरलाल पुत्र मंगलाराम जाति–मेघवाल,निवासी–भनवाड़ा तहसील–डेगाना, जिला–नागौर हाल–निवासी–निम्बेड़ा खुर्द, तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. चुतरा पुत्र भीका 2. अमरा पुत्र भीका 3. शांति पुत्री भीका 4. नर्बदा पुत्री भीका 5. दिनेश पुत्र बंशी 6. गीता पुत्री बंशी 7. सहायता पुत्री बंशी 8. लीला धर्मपत्नि बंशी 9. छगना पुत्र लादू जाति–बावरी, निवासी–निम्बेड़ाखुर्द तहसील–जैतारण, जिला–पाली 10. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.13/05/2016**

उपस्थितः. 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 07/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–निम्बेड़ाखुर्द पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 14–14 बीघा एवं खसरा नम्बर 306 रकबा 8–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादी अपने हक व हिस्से की भूमि पर काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 तक का शेष हिस्से की भूमि पर हिस्सा व हक अधिकार हैं। नकल चालु जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 की पेश की हैं। इस वाद–पत्र में वर्णित उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को आगे वाद–पत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि में वादी से पूर्ववर्ती खातेदारों के हक हिस्सा व खातेदारी अधिकार थे। इन सभी खातेदारों ने अपने हिस्से की भूमि अपनी जायज जरूरत हेतु वादी को बेचान कर दिया था। प्रतिफल की राशि भी प्राप्त कर ली थी एवं भूमि का मौके पर कब्जा भी वादी को सुपुर्द कर दिया था। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी की मौके पर आपसी सहमति से वर्षो पूर्व से यानि पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही अलग–अलग भागों में माफिक कब्जा अनुसार बंटी हुई थी व इसी माफिक वादी ने वक्त खरीद के कब्जा भी प्राप्त कर लिया था। परन्तु इस वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा होकर इन्द्राज

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

नहीं हुआ हैं। वादी ने मौके पर इस भूमि के विक्रेताओं से जमीन खरीद की थी। उसके पहले से ही पूर्ववर्ती खातेदारों के समय से ही उक्त विवादित भूमि अलग-अलग बंटी हुई थी। तब वादी ने मौके पर विक्रेताओं के कब्जेनुसार ही प्रतिफल की राशि देकर के जमीन खरीद की थी व मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। वादी व प्रतिवादीगण की मौके पर कब्जे स्थिति अनुसार नजरी नक्शा बनाकर इस वाद के साथ पेश किया जा रहा हैं। उक्त वर्णित विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती खातेदारान् के दर्ज हैं। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक हैं। वादी मौके पर अपने हक व हिस्से की भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ काम में लेना चाह रहा हैं। लेकिन उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी के बीच राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व शामलाती दर्ज होने की वजह से वादी को अपनी भूमि की किस्म बदलवाने में भारी परेशानी हो रही हैं। वादी ने प्रतिवादी से भी आराजी का बंटवाड़ा कराने हेतु कई बार निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी मौके पर कब्जा व मौका स्थिति अनुसार बंटवाड़ा कराने से टालमटोल कर रहे हैं तथा दिनांक 28/03/2016 को प्रतिवादी ने इस आराजी का बंटवाड़ा कराने से भी स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया। जबकि वादी अपने हक व हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराने की कानूनी रूप से अधिकारी हैं। इस अवस्था में वादी के पास यह वाद-पत्र बाबत् बंटवाड़ा का पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया हैं। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी की केवल राजस्व रेकर्ड में संयुक्त व शामलाती हैं। लेकिन मौके पर बंटवाड़ा हो रखा हैं एवं मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा वाद-पत्र के साथ पेश किया जा रहा हैं। प्रतिवादी झगडालू प्रवृति के हैं, जो वादी के हिस्से व कब्जे पर नापचौंप को लेकर विवाद कर रहे हैं एवं इसी नियत से वादी के कब्जे की भूमि पर जबरदस्ती बाधा व अड़चन पैदा कर रहे हैं एवं वादी द्वारा समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि प्रतिवादी ने जबरदस्ती लाठी लकडियों के बल पर वादी को बेदखल कर वादी की कब्जे व हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लिया, तो वादी अपनी खरीदसुदा, कब्जासुदा व हकसुदा भूमि का उपयोग / उपभोग करने से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित हो जायेगें तथा वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। वादी प्रतिवादी के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगें, जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत् बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या 10 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो बंटवाड़ा के वाद-पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। जिनके विरूद्ध वाद-पत्र पेश करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद-पत्र श्रीमान् के समक्ष अनुमति लेकर पेश किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 28/03/2016 को वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने से स्पष्ट ईनकार करने पर व शामलाती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने एवं खेत के चारों तरफ लगी खन्दक व तारबन्दी को तोडफोड करने से मना करने पर नहीं माने तब बमुकाम-निम्बेड़ाखुर्द तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक

(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण को बावजूद तामिली/ सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया, सा0मि0 हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबन्दी का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा वादी के माफिक राजस्व रेकर्ड हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा–निम्बेड़ाखुर्द पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 14–14 बीघा एवं खसरा नम्बर 306 रकबा 8–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग–अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/2959 दिनांक 29/06/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/36 दिनांक 07/05/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–टूंकड़ा में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा–निम्बेड़ाखुर्द पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 302 रकबा 14–14 बीघा एवं खसरा नम्बर 306 रकबा 8–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	शंकरलाल पुत्र मंगलाराम कौम मेघवाल सा. भनवाड़ा डेगाना जिला–नागौर खातेदार।	302/1	1-12-00	बा0अ0	0.80 रू.
		306/1	1-06-00	बा0अ0	0.65 रू.
	योग	2	2-18-00	बा0अ0	1.45 रू.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

2	चुतरा अमरा पि. भीका दिनेश पुत्र बंशी चुतरा अमरा पि. भीका, शांति नर्बदा पि. भीका, दिनेश पुत्र बंशी, गीता सहायता पि. बंशी, लीला पत्नि बंशी, शांति नर्बदा पुत्रियां भीका हि. 177/412 छगना पुत्र लादू 235/412 कौम बावरी सा. देह खातेदार	302	3-08-00	बा0अ0	
		302/2	9-14-00	बा0अ0	
		306	2-18-00	बा0अ0	
		306/2	4-12-00	बा0अ0	
योग		**4**	**20-12-00**	**बा0अ0**	**10.30 रू.**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

07/05/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला पाली (राज0)
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

निर्णय आज दिनॉक 07/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में सुनाया गया।

07/05/18

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला पाली (राज0)
(फास्ट ट्रेक), (जैतारण)

Scanned by CamScanner